कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर

कार्य परिषद की बैठक की कार्यवाही

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27-11-94 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई ।

उपस्थिति :

1-	प्रो0 सर्वज्ञ सिंह कटियार, कुलपति	अध्यक्ष
2-	डा0 दिनेश वर्मा	सदस्य
3-	डा0 पी0सी0मेहरोत्रा	सदस्य
4-	डा0 रमेश कुमार सक्सेना	सदस्य
5-	श्री श्रीकान्त बाजपेई	सदस्य
6-	डा0 मधुसूदन द्विवेदी	सदस्य
7-	डा0 राज कुमार निगम	सदस्य
8-	डा0 एम0सी0 गुप्त	सदस्य
9-	डा0 बी0डी0 शुक्ल	सदस्य
10-	डा0 एस0एल0शुक्ल	सदस्य
11-	श्री जागेन्द्र स्वरूप	सदस्य
12-	डा0 एच0एन0सिंह	सदस्य
13-	डा0 आशा रानी राय	सदस्य
14-	श्री महेन्द्र प्रसाद, वित्त अधिकारी	
15-	डा0 राधेश्याम बन्सल, कुलसचिव	सचिव

कार्य विवरण

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पूर्व डा0 दिनेश वर्मा तथा डा0 रमेश कुमार सक्सेना ने माँग की कि निर्धारित एजेन्डा प्रारम्भ करने से पूर्व दयानन्द विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के विरुद्ध विधि परीक्षा के दौरान कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) को विश्वविद्यालय प्रशासन वापस ले अन्यथा बैठक की कार्यवाही नहीं चलने दी जायेगी ।

इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुये सर्वश्री श्रीकान्त बाजपेई, डा0 एच0एन0सिंह, डा0 एस0एल0शुक्ल तथा डा0 आशा रानी राय ने विरोध करते हुये कहा कि नियमों के अनुसार सर्वप्रथम कार्यक्रम में निर्धारित विषयों पर विचार होना चाहिए । यदि एजेन्डा से ऊपर कोई प्रश्न उठाना है तो "अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी आवश्यक प्रस्ताव पर विचार" नामक अन्तिम मद से

-------2

चर्चित होना संसदीय प्रणाली के अनुरूप होगा । इस पक्ष पर श्री जागेन्द्र स्वरूप तथा अन्य सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की । अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि कार्यक्रम एजेन्डा के अनुसार ही चलेगा और नये मद को "अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य प्रस्ताव पर विचार" के अन्तर्गत उठाया जाय तथा उस नये मद पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विनिर्णय दिया जायेगा कि कोई नया प्रश्न उठाया जाय या नहीं ।

कुलपति ने परिषद की ओर से तथा अपनी ओर से परिषद के नवागत सदस्य गणों सर्वश्री डा० एम०सी०गुप्ता, डा० मधुसूदन द्विवेदी तथा डा०एस०एल०शुक्ल का स्वागत किया ।

निर्वतमान सदस्यों सर्वश्री डा०वी०एन०सेठ, डा० रमेश कुमार तथा डा० यतीन्द्र तिवारी के विश्वविद्यालय हित में योगदान के लिये धन्यवाद दिया ।

मद सं०-1 परिषद की विगत बैठक दिनांक 10-7-94 के कार्य विवरण की सम्पुष्टि ।

परिषद ने सर्व सम्मति से अपनी विगत बैठक दिनांक 10-7-94 के कार्य विवरण को सम्पुष्ट किया ।

मद सं०-2 परिषद की विगत बैठक दिनांक 10-7-94 में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की सूचना ।

परिषद क्रियान्वयन की सूचना से अवगत हुई । परिषद ने निर्देश दिया कि इसमें प्रक्रियाधीन कार्यों को भी पूरा करा लिया जाय ।

मद सं०-3 विश्वविद्यालय के वर्ष 1994-95 के पुनरीक्षित एवं वर्ष 1995-96 के अनुमानित आय-व्ययक एवं वित्त समिति की संस्तुतियाँ दिनांक 7-10-94 पर विचार ।

आय-व्ययक तथा वित्त समिति की संस्तुतियाँ दिनांक 7-10-94 के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी ने बजट एवं विशिष्ट प्राविधानों के सम्बन्ध में परिषद को अवगत कराते हुये सारांश पढ़कर सुनाया । परिषद के माननीय सदस्यों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया ।

विचार विमर्श के अनन्तर परिषद ने सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 7-11-94 की संस्तुतियों को स्वीकार किया तथा प्रस्तावित आय-व्ययक पर अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

परिषद ने अपेक्षा की कि वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में प्राविधानित अनावर्तक व्यय क्रमानुसार रू० 116.90 लाख एवं रू० 131.21 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं वर्ष 1993-94 की सम्परीक्षा आख्या से परिषद के सदस्यों को अवगत कराया जाये।

§ वित्त समिति की संस्तुति संलग्नक-1 §

----------3

मद सं0-4 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23-8-94 में अभिदिष्ट भारतीय विश्वविद्यालय संघ के पत्र के अनुसार नेशनल ओपेन स्कूल के पाठ्यक्रम को बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थ इण्टर के समतुल्य समकक्षता के सम्बन्ध में विचार ।

परिषद ने एशोसियेशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज के पत्र के आलोक में नेशनल ओपेन स्कूल के पाठ्यक्रम की बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेशार्थ समकक्षता स्वीकार की ।

§ संलग्नक सं0-2§

मद सं0-5 एम0फिल0§शिक्षा§ की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन तथा प्रश्न पत्र निर्माण की दरों में संशोधन हेतु विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार ।

परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित पारिश्रमिक दरों में,परास्नातक परीक्षाओं के पारिश्रमिक के बराबर शासनादेश के अनुसार निम्नांकित संशोधन स्वीकार किया । यह दरें वर्ष 1994 की परीक्षा से प्रभावी होगी ।

1- प्रश्न पत्र संरचना	रू0300/- प्रति प्रश्न पत्र
2- उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन	रू006/- प्रति उत्तर पुस्तिका

मद सं0-6 डा0 जी0के0सेठ के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार ।

परिषद के समक्ष कार्य परिषद की तदर्थ गठित उप समिति की संस्तुतियाँ पढ़कर सुनाई गई । परिषद ने अनुभव किया कि इस संस्तुति के सम्बन्ध में विधिक सम्मति अपेक्षित है तथा कुलपति द्वारा तथ्यों का पुनः परीक्षण आवश्यक है ।अतः इस प्रकरण से सम्बद्ध समस्त तथ्यों पर विधिक सम्मति प्राप्त कर कुलपति महोदय को निर्णयार्थ अधिकृत किया ।

मद सं0-7 विद्युत सब स्टेशन बनाने के लिये परिसर में भूमि आबंटन के सम्बन्ध में विचार ।

परिषद ने प्रस्तावित आबंटन पर स्वीकृति प्रदान की ।

मद सं0-8 कतिपय शोधार्थियों को शोध उपाधि दिये जाने की स्वीकृति ।

परिषद ने परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति संलग्नक में अंकित शोधार्थियों को शोध उपाधियाँ देने पर अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

§ संलग्नक सं0-3 §

----------4

मद सं0-9 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य आवश्यक प्रस्ताव पर विचार।

§क§ परिषद को एम0एस-सी0 परीक्षा के मूल्यांकन में कराये गये कोडिंग कार्य के सम्बन्ध में समस्त तथ्यों से अवगत कराया गया एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित परीक्षकों की नियुक्तियों में कथित धाँधली का खुलासा करते हुये अवगत कराया गया कि एच0बी0टी0आई0 की अध्यापिका डा0 मधु बाजपेई एम0एस-सी0 में न तो परीक्षक थी और न हीं उनसे मूल्यांकन कार्य कराया गया । इसी प्रकार एन0एस0आई0 के डा0 लखेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में बताया गया कि उनके अधीन 15 पी0एच-डी0 स्कालर्स शोधरत है और वे विश्वविद्यालय की एम0एस-सी0 परीक्षा के विगत दो वर्षों से प्राध्यिनक एवं परीक्षक रहे हैं । डी0ए0वी0 कालेज के 20 प्रति0 से कम अध्यापक परीक्षक रहे हैं । समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार निराधार एवं कपोल-कल्पित है ।

उपर्युक्त तथ्यों के संज्ञान से अनन्तर विश्वविद्यालय की छवि सुधारने की दिशा में कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की परिषद ने सराहना की ।

§ख§ परिषद ने विगत 2 माह की अल्प अवधि में कुलपति के कार्य कलापों, एम0एस-सी0 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गुणात्मक सुधार तथा विश्वविद्यालय की छवि निखारने में कुलपति के किये गये प्रयासों की सराहना की ।

§ग§ परिषद ने विश्वविद्यालय में आवासीय शिक्षा व्यवस्था को नियमित स्वरूप देने के लिये परिनियमावली में इस विश्वविद्यालय को सम्बन्धन के साथ आवासीय स्वरूप की व्यवस्था हेतु शासन से पत्राचार करने का निर्देश दिया ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डा0 दिनेश वर्मा एवं डा0 रमेश कुमार सक्सेना द्वारा उठाये गये प्रश्न पर विचार हुआ । कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के परिनियमों के अन्तर्गत एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के उद्देश्य से यह प्रकरण विशुद्ध प्रशासकीय था । इस प्रकरण पर जिला शासकीय अधिवक्ता§दीवानी§ तथा §फौजदारी§ दोनों से विचार विमर्श कर उनकी सम्मति से एफ0आई0आर0 दायर करने का निर्णय लेना पड़ा । यद्यपि यह विशुद्ध प्रशासनिक प्रकरण है तथापि सदस्य डा0 दिनेश वर्मा एवं डा0 रमेश कुमार सक्सेना के मनोभवों का आदर करने के उद्देश्य से इस प्रकरण या अन्य प्रकरण पर श्री जागेन्द्र स्वरूप या अन्य सदस्य अध्यक्ष महोदय से वार्ता कर सकते है ।

राधेश्याम बन्सल

डा0§राधेश्याम बन्सल§
कुलसचिव
सचिव

डा0§सर्वज्ञ सिंह कटियार§
कुलपति
अध्यक्ष